

2021
1238

सेवामें,
श्रीमान् तहसीलदार साहय,
दूनी (टोंक-राज0)

विषय : - जमाबन्दी खाता सं. 105, 166 में नाम/ज्मति दुरुस्ती करने यावत
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 136 भूरा. अधिनियम 1959

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बालागढ़ की जमाबन्दी सम्वत्
2071-74 के खाता सं. 105, 166 में मेरी जाति -----
नाम शंकर पुत्र देवा, शंकर पुत्र देवा दर्ज है मेरा सही नाम शंकरलाल
पुत्र देवीलाल जाति मीना है।

अतः सही नाम / ज्मति दुरुस्त कराने की कृपा करावें।

प्रार्थी
शंकर जीजा

Reader
D. S.
20/10/2021

रिपोर्ट पटवारी

महोदय, रेकार्ड जमाबन्दी सं. 2071-74 ग्राम बालागढ़
के खाता सं. 105, 166 में प्रार्थी शंकर पुत्र देवा शंकर पुत्र देवा पुत्र
जाति मीना दर्ज है। इसके बजाय प्रार्थी शंकरलाल
पुत्र देवीलाल निवासी बालागढ़ अपनी जाति -----
नाम शंकर पुत्र देवा, शंकर पुत्र देवा के बजाय जाति ----- नाम शंकरलाल
पुत्र देवीलाल सही कराना चाहता है, जिसको सही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पटवारी
FLR

पटवारी
शंकर जीजा

कार्यालय तहसीलदार दूनी केम्प

2021

दिनांक 20.10.21

क्रमांक:- 34

मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, देवली को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रार्थी श्री शंकरलाल
पिता श्री देवालाल जाति मीना
निवासी बालागढ़ तहसील दूनी की जाति मुताबिक रेकार्ड नाम -----
पिता देवा जाति मीना
दर्ज है, रिपोर्ट पटवारी के आधार पर सही शंकरलाल पुत्र देवीलाल दर्ज किये
जाने की अभिशंघा की जाती है।

तहसीलदार (प्र.अ.)
दूनी
दूनी जिला-टोंक

487
2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला-टोंक

तक दूनी के अभिशंघा अनुसार ग्राम बालागढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
के खाता संख्या 105, 166 में दर्ज शंकर पुत्र देवा, शंकर पुत्र देवा के स्थान पर
शंकरलाल पुत्र देवीलाल उरुस्त रूपसे दर्ज हुआ किया जाना उचित प्रतीत
है।
देवली (टोंक)